

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 12.03.2023

दहेज के लिए प्रताणित करना व खुद की पत्नी की हत्या कर शव को जलाकर सबूत नष्ट करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2023 धारा 498ए,323,302,201,120बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त धर्मवीर चौरसिया पुत्र रामअचल चौरसिया निवासी कन्दराई थाना खजनी गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

धर्मवीर चौरसिया पुत्र रामअचल चौरसिया निवासी कन्दराई थाना खजनी गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 58/2023 धारा 498ए,323,302,201,120बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. संजय कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. का0 रामबाबू थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. का0 विमलेश राम थाना खजनी जनपद गोरखपुर